राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर

पत्र-प्राप्ति

219

राजस्थान सरकार
कृषि विपणन निदेशालय

कमांकः-निकृवि / नियमन / प.3(141) / ग्रुप-2 / 06 / 24749 - 898 जयपुर, दिनांकः 13·10-2

परिपत्र

विषयः- अनुज्ञापत्रधारी द्वारा फर्म का नाम बदलने पर पूर्व में स्वीकृत अनुज्ञापत्र में संशोधन करने के संबंध में।

यह ध्यान में आया है कि किसी फर्म द्वारा नाम बदलने का प्रार्थना पत्र पेश करने पर ऐसी फर्मों को कृषि उपज मण्डी समिति के अनुज्ञापत्र बाबत नवीन अनुज्ञापत्र की प्रकिया से गुजरना पड़ता है एवं कृषि उपज मण्डी समिति द्वारा ऐसी फर्म की पहचान बदल जाने के आधार पर नवीन अनुज्ञापत्र स्वीकृत किया जाता है,जबकि फर्म का केवल नाम बदलता है अथवा फर्म के नाम में संशोधन किया जाता है। फर्म के मालिक अथवा भागीदार अथवा कम्पनी के निदेशक मण्डल आदि में कोई फेरबदल अथवा बदलाव नहीं होता है एवं वे पूर्ववतः ही रहते हैं। ऐसी स्थिति में फर्म को कृषि उपज मण्डी समिति के अनुज्ञापत्र के लिए नवीन अनुज्ञापत्र प्रकिया अपनाने के लिए बाध्य करने का कोई औचित्य नहीं है। अतः ऐसी अनुज्ञापत्रधारी फर्म जिनके नाम में बदलाव हो अथवा संशोधन हो एवं फर्मो के मालिक अथवा भागीदार अथवा कम्पनी के निदेशक मण्डल पूर्ववतः ही रहे तो ऐसी फर्मों को पूर्व में स्वीकृत अनुज्ञापत्र में ही अपेक्षित संशोधन स्वीकृत कर दिया जावे एवं इसी अनुरूप मण्डी समिति के संबंधित अभिलेख में अपेक्षित संशोधन दर्ज कर लिया जावे।

निदेशक
कृषि विपणन

कमांकः-निकृवि / नियमन / प.3(141) / ग्रुप-2 / 06 / 24749 - 898 जयपुर, दिनांकः 13-10-20

प्रतिलिपिः- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. निजी सचिव,प्रमुख शासन सचिव,कृषि,शासन सचिवालय,जयपुर ।
2. अति.निदेशक,कृषि विपणन विभाग,मुख्यालय जयपुर ।
3. मुख्यलेखाधिकारी, कृषि विपणन विभाग,मुख्यालय जयपुर ।
4. संयुक्त निदेशक, कृषि विपणन विभाग,मुख्यालय जयपुर ।
5. सचिव,राज.रा.कृषि विपणन बोर्ड,पंत कृषि भवन,जयपुर ।
6. समस्त विभागीय अधिकारी, कृषि विपणन विभाग,मुख्यालय,जयपुर
7. समस्त क्षेत्रीय उप / सहायक निदेशक, कृषि विपणन विभाग
8. समस्त अध्यक्ष / सचिव कृषि उपज मण्डी समिति

निदेशक